

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

पत्र सं० ..... 2152/210

सिवान दिनांक.....-04-09-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा- बेलवासा, थाना नं०- 312, थाना- दरौली, परगना- आन्दर, अंचल- आन्दर, जिला- सिवान के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् छजवाँ बेलवासा-मठिया के बीच स्क्रू पाईल पुल निर्माण के पहुँच पथ हेतु सरकार के खर्च पर भूमि ली जानी है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा- बेलवासा, थाना नं०- 312 के अन्दर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम-बेस 0.32578 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अधिघोषित खेसरा निम्न प्रकार है :- 143 अंश ।

अधिघोषित भूमि की चौहद्दी

उत्तर - सर्वे न०- 187 (सड़क)

दक्षिण - दहा नदी (सिवाना-छजवाँ)

पूरब - सर्वे न०- 144 पूर्ण।


पश्चिम- सर्वे न०- 140 पूर्ण, 141 पूर्ण एवं 142 पूर्ण।


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खानों की आवश्यकता नहीं है। किन्तु खानों या खनिजों के वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जाएंगे।

यह अधिघोषणा बिहार भू-अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
समाहर्ता,  
सिवान।

  
सरकार के अवर सचिव  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या - 14/डी0 एल0 ए0 सिवान (पहुँच पथ)- 34/2013 - 2152/र.  
डि०-०५-०९-१३

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, सिवान को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, सिवान को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6/2  
21/9/13  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।